# 3 लाख कुशल श्रमिक तैयार करेगी सरकार

### निर्माण श्रमिकों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देने की योजना का शुभारंभ

अमर उजाला ब्यूरो

**लखनऊ।** राज्य सरकार ने निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को कुशल और आधुनिक तकनीक से लैस बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) की कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के तहत प्रदेश में तीन लाख निर्माण श्रमिकों को चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना का शुभारंभ श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ के अर्जुनगंज से किया।

राजभर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों का जीवन सशक्त और सम्मानजनक बनाना है। वर्तमान में कई श्रमिक बिना औपचारिक प्रशिक्षण के काम कर रहे हैं जिससे वे न तो तकनीकी रूप से दक्ष हो पाते हैं और न ही अपने श्रम के अनुरूप मजदूरी मांग पाते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने यह प्रशिक्षण योजना शुरू की है।

उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले चरण में गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में शुरू किया गया है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्था निटकॉन लिमिटेड श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर ही 15 दिनों तक रोजाना एक घंटे का प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इसकी मान्यता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी।प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने इसे निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने श्रमिकों से बोर्ड में पंजीकरण और नवीनीकरण कराने का आह्वान किया।

**प्रशिक्षण अवधि में मजदूरी देगा बोर्ड :** मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण अवधि में श्रमिकों की मजदूरी के नुकसान की भरपाई भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड करेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद श्रमिक अपने कार्य के अनुरूप बेहतर मजदूरी मांग सकेंगे और उनके लिए देश-विदेश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

# राजनीति में बढ़ती जा रही अस्वीकार्यता : डॉ. विश्वास

### अमर उजाला के कार्यक्रम में कहा- हर चुनाव के बाद विपक्षी पक्षी में बदल जाता है

अमर उजाला ब्यूरो

**लखनऊ।** सुप्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास ने कहा कि अब हर चुनाव के बाद विपक्षी अब पक्षी बन जाता है। वहीं, राजनीति में स्वीकार्यता और सहनशीलता इतनी कम हो गई है कि विपक्षी को विरोधी मान लिया जाता है। यह बातें कुमार विश्वास ने बुधवार शाम अमर उजाला और संस्कृति विभाग की ओर से रिवरफ्रंट पर आयोजित दो दिवसीय समारोह संगम संस्कृतियों का'' में कहीं।

विश्वास ने कहा कि एक समय था जब राजनीति में स्वीकार्यता बहुत थी, लेकिन अब समस्या यह आ गई है कि राजनीति में अस्वीकार्यता बढ़ती जा रही है जो बहुत घातक है। राजनीति पर चुटीली टिप्पणियों के जरिये उन्होंने सरकारों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि राजनीति से जो ठहाका या चुलबुलापन गायब हो रहा है, उसे कायम रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है।

आजकल लोकतंत्र में निर्णय संख्या से होने लगे हैं और गुणवत्ता पीछे छूट गई है। हमारी औकात श्रोताओं से ही है। इसलिए हम तो श्रोताओं के लिए ही लिखते और सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग तो हमें अपने फायदे के लिए ही बुलाते हैं। सत्ता या राजनीति के लिए कभी ट्रॉफी मत बनो क्योंकि अपना काम निकल जाने के बाद वे आपको भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता जो सवाल सीधे सत्ता से नहीं कर पाती है, उसके लिए वे कवि को अपना प्रतिनिधि मानते हैं और यह सोचते हैं कि कवि हमारी बात जोरदार तरीके से कहेगा।

### मेयर से लेकर पीएम तक उनका, फिर भी...

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कहा कि जब पहले दूसरी सरकारें थीं तो विपक्ष के लोग तंज कसते थे, लेकिन आज मेयर से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका ही है तो हालात क्यों नहीं सुधर रहे। उन्होंने कहा कि जनता मूलरूप से राजा या सरकार के खिलाफ नहीं होती बल्कि वे तो उस दर्द के खिलाफ होते हैं जो तत्कालीन सरकारों के समय में उन्हें मिलता है।

### इमरजेंसी में अमर उजाला में लेख छपा तो पिताजी को हुई थी जेल

कुमार विश्वास ने बताया कि इमरजेंसी के दौरान 1977 में अमर उजाला की वजह से मेरे पिता को जेल हो गई थी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता का एक लेख अमर उजाला में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। विश्वास ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान हिंदी अखबारों में अमर उजाला ही इकलौता समाचार पत्र था जिसने सरकार से लोहा लिया। अमर उजाला ने सच को सच लिखा। एक समय ऐसा भी आया कि जब सरकार ने संस्थान की बिजली काट दी तो अमर उजाला ने ट्रैक्टर से मोटर चलाकर अखबार निकाला था।

## पंचायत चुनाव : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का भी मौका

**लखनऊ।** अगर आप 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं और आपका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आपके पास नाम जुड़वाने का मौका है।

30 दिसंबर तक नाम जुड़वाकर मतदाता बन सकते हैं। इसके लिए संबंधित बीएलओ या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर को पुनरीक्षण-2025 मतदाता सूची जारी की है। 30 दिसंबर तक इस पर दावे और आपत्तियां मांगी है। इस दौरान मृतकों समेत अन्य अयोग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटवा सकते हैं। अगर कोई गलती है तो उसको भी सुधारा जाएगा। मालूम हो कि जो भी दावे व आपत्तियां आएंगी उसको छह जनवरी तक निस्तारित किया जाएगा। उसके बाद छह फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ब्यूरो

## एप से अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर व पता

**लखनऊ।** आधार का मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए अब आपको सेवा केंद्र पर जाना नहीं पड़ेगा। आधार एप पर ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। तीन सप्ताह पहले ट्रॉयल के तौर पर शुरू किया गया एप अब पूरी तरह काम करने लगा है। हालांकि नाम, जन्मतिथि और ई-मेल अपडेट करने के लिए अभी सेवा केंद्र ही जाना पड़ेगा।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अफसरों ने बताया कि एप की लॉंचिंग जनवरी में आधिकारिक तौर पर की जाएगी। पिछले सप्ताह से ट्रॉयल चल रहा है। जो सफल रहा है। आधार का नाम एप अभी केवल एंड्रॉयड फोन के लिए है। एप डाउनलोड करने के बाद आधार नंबर व बायोमिट्रिक से लॉगिन करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर व पता अपडेट कर सकते हैं। पता अपडेट करने के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। एप में नाम व ई-मेल अपडेट करने का भी विकल्प शो हो रहा है लेकिन अभी वह चल नहीं रहा है। आने वाले समय में इन दोनों सुविधाओं को भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल नाम, जन्मतिथि व ई-मेल अपडेट करवाने के लिए आधार सेवा केंद्र पर ही जाना होगा। ब्यूरो

दुनिया भर की अजब-गजब खबरें 'उधर उधर भी' amarujala.com

# मजार टूटने के बाद समर्थन जुटाने की सियासत तेज

### फतेहपुर : गांव में दो पक्ष प्रधानी पद के प्रबल दावेदार, दोनों समुदायों के लोग जाते थे मजार पर

**फतेहपुर।** हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में बनी मजार की तोड़फोड़ को प्रधानी चुनाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। गांव में एक ही बिरादरी के दो प्रमुख दावेदार मैदान में हैं। ग्रामसभा में करीब तीन हजार से अधिक मतदाता हैं। मतदाताओं में हिंदू समुदाय की संख्या अधिक बताई जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार इस मजार पर दोनों समुदाय के लोग आस्था रखते थे। यहां मन्नत मांगने, अगरबत्ती सुलगाने और चादर चढ़ाने की परंपरा रही है। तोड़फोड़ की घटना के बाद गांव का माहौल चुनावी गणित में उलझता नजर आ रहा है।बताया जा रहा है कि एक दावेदार को गांव के करीब 250 मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। तोड़फोड़ के बाद समर्थक दावेदार ने चुनाव जीतने पर मजार का पुनर्निर्माण कराने का आश्वासन देकर मुस्लिम मतदाताओं को शांत किया है। हालांकि वह खुलकर सामने आने से बच रहा है ताकि हिंदू समर्थक उससे दूर न हों।दूसरा दावेदार भी पीछे नहीं है और वह हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने में जुटा है। माना जा रहा है कि तोड़फोड़ के बाद मुस्लिम पक्ष को लेकर विरोधी के खुलकर सामने आने की उम्मीद की जा रही थी। इससे चुनावी समीकरण एकतरफा हो जाएं। इसी सोच के तहत गांव में माहौल बनाने की कोशिशें भी चर्चा में हैं। संवाद

**50 साल पहले पहले मजार की जगह अखाड़ा था:** ग्रामीणों के मुताबिक मजार की जगह पर पहले अखाड़ा का झंडा लगाया जाता था। यह भूमि विष्णुपाल सिंह की थी। पहलवान झंडे पर मिट्टी चढ़ाते थे। ऊंचा ढेर हो गया था। इसे 50 साल पहले ओली बाबा पहलवान का अड्डा कहा जाता था। इसी जगह पर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बैठकर झाड़फूंक करने लगे। धीरे-धीरे इस जगह को वली शाह की मजार का रूप दिया गया। विष्णुपाल सिंह के पिता ने जयबहादुर माली को जगह बेच दी थी। इस दौरान दरवाजे किनारे मजार बनी रह गई। भलेवा रोड निर्माण के दौरान मजार का आधा हिस्सा टूट गया था। अब नाली दो फीट चौड़ी बची थी।

**तो चर्चा में आने का बनाया तरीका :** शहर में 11 अगस्त को बवाल के बाद जिले के भाजपा और हिंदू संगठनों की चर्चा प्रदेश स्तर तक रही। ग्रामीणों का कहना है कि मजार में तोड़फोड़ कर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खुद को चर्चा में लाने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले भी नरेंद्र हिंदू की कई रील सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। इन रीलों में वह धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकान हटवाते और अन्य कार्य करते नजर आया है।

# निलंबन के फैसले पर रोक लगने तक गांव नहीं जाऊंगी

**उन्नाव।** पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता ने सेंगर की सजा निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला लिया है। बताया कि सेंगर और उनके लोगों से जान का खतरा है। जब तक फैसले पर रोक नहीं लगती वह अपने गांव नहीं जाएंगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील के निस्तारण तक जमानत पर रिहाई का आदेश दिया था। अदालत ने शर्त लगाई है कि सेंगर, पीड़िता के निवास स्थान से पांच किलोमीटर की परिधि में नहीं जाएंगे। पीड़िता या उनके परिवार को धमकी दी तो इसे न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए जमानत निरस्त हो जाएगी। हालांकि सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मुकदमे दस साल की सजा में अभी जमानत नहीं मिली है।

### पीड़िता ने कुलदीप सेंगर के लोगों से बताया जान का खतरा

फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुष्कर्म पीड़िता ने फोन पर बताया कि उनके परिवार, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई है। ऐसे गंभीर अपराध में सेंगर को जमानत मिलना, उनके और परिवार के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह और उनकी मां, मंगलवार को दिल्ली में शांति पूर्वक धरना दे रहीं थीं, रात में दिल्ली पुलिस ने उनके साथ धक्कामुक्की की और उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह अपने वकील से मिलीं हैं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर रही हैं। संवाद

**सीआरपीएफ की सुरक्षा भी नहीं है :** रायबरेली जाते समय 28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते समय रायबरेली में हुए सड़क हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया था और और पीड़िता व उसके परिवार के अलावा अधिवक्ता महेंद्र सिंह (अब दिवंगत), अजेंद्र अवस्थी को सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई। हालांकि तीन अप्रैल 2025 को न्यायालय के आदेश पर पीड़िता के अलावा अन्य सभी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस हो गई थी।


**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD**
**9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002**
**E-AUCTION SALE NOTICE**
**DRC NO. 903/2024**
**Central Bank of India Vs M/s. Mirza Engineering Works & others**
[Under Rule 52(2) of Second Schedule to the I.T. Act, 1961
Read with Sec 25 to 29 of Recovery of Debts and Bankruptcy Act 1993]

The publication is in addition to Proclamation of Sale done on 20.12.2025. The under mentioned property will be sold 'As is, where is basis' by online e-auction through website https://drt.auctiontiger.net for recovery of a sum of **Rs. 20,10,034.80** along with cost, expenses and future interest from 24.11.2020 till full recovery is made.

**Description of Property**

Description of property to be sold with the name of the co-owners.

**Property description:** All that part and parcel of the plot no. 960 situated at Rawatpur, Tehsil Pargana and District Kanpur Nagar. Now Premises no. 116/969 Roshan Nagar Kanpur.
**Area-** 83.60 sqmt
**Bounded as under- East:** Plot of Gulam Rasool; **West:** Maszid; **North:** Plot Shekh Nizamuddin Ahmad; **South:** 20 ft rasta.
**OWNED BY Cd-3.** Shri Mohd. Nazim Beg S/o Shri Mazhar Beg
**Details of Title deed:** Sale deed Registered on 15.11.2000 in Bahi no. I; Volume no. 528; Pages no. 1 to 34; Serial no. 4210; in the office of Sub-Registrar, IV Kanpur.

| | |
|---|---|
| Date and time of e-auction | 22.01.2026 Between 11 am and 12 Noon with extension of 5 minute duration after 12 Noon if required. |
| Reserve Price | Rs. 22,00,000.00 |
| Earnest Money | 10% of the reserve price i.e. Rs. 2,20,000.00 |
| Earnest Money Deposit Last date for submission of bid form with EMD | 10% amount of reserve price as earnest money [EMD] as detailed against each property through electronic transfer in the account Debts Recovery Tribunal Allahabad, U.P. Account No. 19910400000019 with IDBI Bank, Branch M.G. Marg, Allahabad, IFSC code no IBKL0000199 latest by 5.00 p.m on 16.01.2026 and the EMD received thereafter shall not be considered. The duly filled in e auction EMD form along with copy of Aadhar Card, Pan card, address proof and EMD deposit receipt (all copies self attested) shall be submitted in a sealed cover either by hand or through speed post to **Ms Swapna Kukreja [Mob, no. 8303714108] Branch Manager, Central Bank of India, Gadarianpurwa Branch, 123/4 15 H Guru Nanak Market, Gadarianpurwa, Kanpur** on or before 16.01.2026 by 17.00 hrs. Such envelop must be superscripted with name, E mail ID, contact no., and postal address. |
| Bid Multiplier | Rs. 10,000.00 |
| Inspection of Property | Between 11,00 A.M. ꚍo 4.00 PM **on any working day** at the site in consultation with Authorised Officer of the Certificate Holder i.e. **Ms Swapna Kukreja [Mob. no. 8303714108] Branch Manager, Central Bank of India, Gadarianpurwa Branch, 123/4 15 H Guru Nanak Market, Gadarianpurwa, Kanpur E mail id- bmkanp2135@centralbank.co.in** |

The other details about the above auction and the e auction bid form and declaration form and detailed terms and conditions are available in the website https://drt.auctiontiger.net
**In case of immovable property:** The person declared to be the successful/highest bidder shall pay/deposit immediately a deposit of 25% of the sale proceed (less EMD) by way of electronic transfer on the same day in the account **Debts Recovery Tribunal Allahabad, U.P. Account No. 19910400000019 with IDBI Bank, Branch M.G. Marg, Allahabad, IFSC code no IBKL0000199**
The purchaser shall deposit the balance amount of 75% sale proceeds along with poundage @ 2% up to Rs. 1,000 and @ 1% on the remaining amount of sale proceeds by way of electronic transfer in the account of **Debts Recovery Tribunal Allahabad, U.P. Account No. 19910400000019 with IDBI Bank, Branch M.G. Marg, Allahabad, IFSC code no IBKL0000199** within 15th day from the date of auction sale of the property exclusive of such day and if the 15th day be a Sunday or Holiday, then on the first working day after the 15th day.
In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold after issue of fresh Proclamation of Sale. The deposit after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned think fit, be forfeited to the Government and defaulting purchaser shall forfeit all claims to be property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.
The highest bid will be subject to approval of the Recovery Officer. The Recovery Officer has the absolute right to accept or reject any bid or bids or to postpone or cancel the sale without assigning any reason.
Property details if any shall be obtained from Nodal Officer of the Certificate Holder i.e. **Ms Swapna Kukreja [Mob. no. 8303714108] Branch Manager, Central Bank of India, Gadarianpurwa Branch, 123/4 15 H Guru Nanak Market, Gadarianpurwa, Kanpur;** and assistance regarding e auction procedure and uploading of bid form and other required documents from service provider E-procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger). Ram Sharma-8000023297, Contact no. 079-68136880/68136837 Mob +91-9265562821/18
E Mail: support@auctiontiger.net/ ramprasad@auctiontiger.net, https://drt.auctiontiger.net

**RISHISH KUMAR**
Recovery Officer
DRT, Allahabad.

**E-AUCTION EMD FORM**
**DRC NO. 903/2024**
**Central Bank of India Vs. M/s Mirza Engineering & others**

1. Name(s) of Bidder (in Capital)* :
2. Father's/Husband's Name :
3. Postal Address of Bidder :
4. Phone/Cell No. and e-mail ID :
5. Date of Submission of Bid :
6. DRC/Item No. :. DRC no. 903/2024
7. Property Detail in Brief :
8. EMD Remittance Detail :
   - Date of Remittance :
   - Name of Bank :
   - Branch :
   - A/c No. :

I declare that factual details provided above are true to my personal knowledge. I further declare that I have read and understood all the general and technical terms and condition of auction sale and shall abide by them.

**(Signature of the Bidder)**

Encl.: 1. Self attested Copy of Aadhar Card & PAN
2. Self attested copy of address proof.
3. Self attested copy of EMD deposit receipt.



## कानपुर विकास प्राधिकरण
**रामगंगा इन्क्लेव (शताब्दीनगर फेस-3) योजना के आवंटियों हेतु वैकल्पिक भूखण्ड की लाटरी हेतु**
**आवश्यक सूचना**

''रामगंगा इन्क्लेव (शताब्दीनगर फेस-3) योजना अन्तर्गत ई. डब्लू.एस. श्रेणी के विवादित भूखण्ड संख्या 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 334, 335, 336, 338, 339 एवं 340 के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि इन भूखण्डो के विवादित होने के कारण इनके स्थान पर राम गंगा इन्क्लेव (शताब्दीनगर फेस-3) के संशोधित ले-आउट में समान क्षेत्रफल के वैकल्पिक भूखण्ड के आवंटन हेतु लाटरी का आयोजन दिनांक 29.12.2025 को प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण कैम्पस में भूतल पर स्थित अटल बिहारी प्रेच्छागृह में सम्पादित किया जायेगा। उपरोक्त भूखण्ड के आवंटियो से अनुरोध है कि यदि किसी आवंटी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से लाटरी दिनांक तक प्रातः 10:30 बजे तक विक्रय जोन-2 कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध करा दें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने पर इसे आवंटियो की सहमति मानते हुए नियमानुसार वैकल्पिक आवंटन हेतु लाटरी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा।''

**मीनाक्षी गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन-2)**



## पूर्वोत्तर रेलवे
**ई-निविदा सूचना**

निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबन्द "खुली निविदा" वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रित की जाती है। **निविदा सूचना संख्याः** 50 वर्ष 2025; **कार्य का विवरणः** N.E. रेलवे के DRM ऑफिस, लखनऊ जंक्शन बंदरियाबाग और ऐशबाग में 100% नॉन ब्लॉकिंग पूरी तरह से डिजिटल ISDN एक्सचेंज के लिए 2 साल का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध। **अनुमानित लागत(₹):** ₹5,80,725.28; **बयाना राशिः** ₹11,600/-; **निविदा प्रपत्र का मूल्यः** ₹00.00; **कार्य समापन अवधिः** 24 माह; **(1) निविदाओं के बन्द होने की अंतिम तिथि एवं समयः** 14.01.2026 को 15:00 बजे। **नोटः** इस निविदा के विरुद्ध मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल ऑफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु, कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** को देखें।

मुजाधि/सिग्नल-80 वमसिदूई, लखनऊ
ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें



**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल**
**उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)**
कानपुर. मो0 9473942738, 9473942741
ई-मेलः gmgpcuknp@gmail.com
pmgpcu@yahoo.co.in

पत्रांक : 1642/W-32/48
दिनांक : 23.12.2025

**''ई''-निविदा सूचना**

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **"Sewer Line Shifting work (New Sewer Line laying & jointing) at JAREEB CHOWKI within boundary of Nagar Nigam Kanpur funded by client agency U.P. State Bridge Corporation Ltd. Kanpur as Deposit work, Including supply of all labour, materials, T&P etc. complete & Commissioning, Testing & Handing Over to Nagar Nigam, Total cost of work: Rs. 2230.16 Lacs under Deposit Programme"** हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य हेतु निविदा **दिनांक 08.01.2026 को अपरान्ह 15:00 बजे** कार्यालय अधीक्षण अभियंता, निर्माण मंडल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), कानपुर में खोली जायेगी। ''ई''-निविदा प्रपत्र **दिनांक 24.12.2025 को 03:00 बजे से दिनांक 08.01.2026 को 14:00 बजे तक** वेबसाइट **https://etender.up.nic.in** से डाउनलोड एवं अपलोड किये जा सकते हैं। प्रत्येक ''ई''-निविदा प्रपत्र का मूल्य **रू0 23600.00 (जी0एस0टी0 सहित)** ''ई''-निविदा कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://jn.upsdc.gov.in** पर भी देखे जा सकते हैं। निविदायें आनलाइन ही स्वीकार की जायेंगी, जिसके लिये निविदादाता को ''ई''-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।



## बैंक ऑफ़ इंडिया
**आंचलिक कार्यालय**
**128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर- 208011,**
**दूरभाषः 0512-2985004**

## ई-नीलामी सूचना

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब्त किये एवं वाहनों का **''जहां है जैसा है''** के आधार पर निविदा द्वारा विक्रय किया जाना प्रस्तावित है:-

| क्र. सं. | खातेदार का नाम / शाखा / देय राशि (लाख) | दृष्टि बंधक वाहन का विवरण | आरक्षित राशि (लाख में) ई.एम.डी. (लाख में) बोली वृद्धि राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1. | **ऋणीः श्री शुभम कुमार बाजपेयी** शाखाः गुरू तेग बहादुर मार्ग शाखा देय राशिः 8,91,576.00 + ब्याज | वाहन पंजीकरणः UP78-KN-2192 मेकः Hyundai Aura 1.2 MT CNG S Commercial चेसिस सं.: MALB241CLRM293293 इंजन सं.: G4LARM009614 | रू. 5,29,000.00<br>रू. 52,900.00<br>रू. 2,000.00 |
| 2. | **ऋणीः श्री छोटे लाल** शाखाः दीह शाखा देय राशिः 3,91,799.60 + ब्याज | वाहन पंजीकरणः UP35-BP-2987 मेकः ALTO K10 VXI + (Maruti Suzuki) चेसिस सं.: MA3SFM61SPE1854841 इंजन सं.: K10CN1155949 | रू. 3,34,000.00<br>रू. 33,400.00<br>रू. 2,000.00 |
| 3. | **ऋणीः वशिष्ठ गुप्ता** शाखाः रनिया शाखा देय राशिः 1,35,476.53 + ब्याज | वाहन पंजीकरणः UP78 GT 3807 मेकः Maruti Suzuki India Limited Super Carry STD चेसिस सं.: MA3EZLF1T00201154 इंजन सं.: G12BN950418 फ्यूल का प्रकारः Petrol | रू. 2,39,000.00<br>रू. 23,900.00<br>रू. 2,000.00 |
| 4. | **ऋणीः दुष्यंत पाठक** शाखाः रानिया शाखा देय राशिः 2,65,741.96 + ब्याज | वाहन पंजीकरणः UP78 JT 3460 मेकः Ape E City FX NE MAX Electric Auto Rickshaw चेसिस सं.: MBX0009TF2L357975 इंजन सं.: 2311S023327 फ्यूल का प्रकारः Electric | रू. 2,11,000.00<br>रू. 21,100.00<br>रू. 2,000.00 |

**ई.एम.डी. जमा करने की दिनांक व समय 28.01.2026 समय शांय 04 बजे से पहले**
**ई-नीलामी की दिनांक व समय 28.01.2026 प्रातः 11 बजे से सांय 05.00 बजे**

ई-नीलामी के नियम व शर्तेः **1.** नीलामी बिक्री, वेबसाइट **https://www.BAANKNET.com** के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रिानिक बिडिंग प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। **2.** बोलीकर्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट **https://www.BAANKNET.com** में जाकर **"Guidelines"** देख सकते हैं। **3.** बोली राशि आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए। **4.** सर्वाधिक/सफल बोलीकर्ता का विक्रय के सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद बोली/क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत के बराबर की राशि में पहले से जमा बयाना राशि घटाकर शेष बची राशि अगले कार्यदिवस में जमा कराना होगा। अन्यथा उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। **5.** क्रयमूल्य कि शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री कि पुष्टि करने के 15 दिन या उससे पहले अथवा बढ़ाई हुई अवधि के भीतर शेष राशि जमा नहीं करा पाने की दशा में जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं अधिकृत अधिकारी बैंक नीलामी को रद्द कर नये सिरे से नीलामी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। **6.** अधिकृत/सफल बोलीकर्ता की दशा में बयाना राशि को क्रय मूल्य में समायोजित कर दिया जायेगा एवं असफल बोलीकर्ताओं **BAANKNET** के द्वारा वापस कर दिया जायेगा। बयाना राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। **7.** चल सम्पत्ति का "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" एवं "बिना किसी सहारे के आधार'' पर बेचा जायेगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं नीलामी में शामिल होने में पूर्व सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का देय आदि के बारे में जानकारी स्वयं प्राप्त करें। **8.** अधोहस्ताक्षकर्ता के पास स्व-विवेक से बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा बिक्री को स्थगित करने/टालने रद्द करने अधया बिक्री की नियम व शर्तों को संशोधित करने का सम्पूर्ण अधिकार है। **9.** सम्पत्ति के क्रेता को सरकार को देय सभी वैधानिक देयक एवं सम्पत्ति से संबंधित सभी वर्तमान एवं भविष्य के कर, दर व देयक वहन करना होगा। **10.** देय राशि ब्याज और अन्य शुल्कों को छोडकर है। **11.** इस नीलामी से संबंधित किसी भी तरह का संशोधन/त्रुटि सुधार/शुद्धिपत्र भविष्य में अखबार के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जायेगा कृपया इच्छुक नियमित रूप से ऊपर दी गई वेबसाइट से संज्ञान लेवें। **12.** इस नीलामी की प्रक्रिया बैंक ऑफ इण्डिया के कर्मचारी बोली नहीं लगा सकते है। **13.** इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई डी व पासवर्ड स्वयं बनाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूजर आई.डी. अंतिम तिथि से पूर्व ही बना लें। **14.** एक बोली लगाने वाला (बोलीकर्ता) होने की स्थिति में बोली फॉर्म में उद्धत बोली राशि में न्यूनतम एकबोली वृद्धि मूल्य की बढोतरी करनी होगी, अन्यथा विक्रय निरस्त/स्थगित किया जायेगा। **15.** एकल बोलीदाता के मामले में प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करें, उक्त बोलीदाता ने एक मूल्य उद्धत किया है जो आरक्षित मूल्य से अधिक है। इस शर्त का अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

दिनांक : 25.12.2025 स्थानः कानपुर प्राधिकृत अधिकारीः बैंक ऑफ इण्डिया



## कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
**विश्वबैंक परियोजना**
**विज्ञप्ति**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बर्रा विश्वबैंक (के.यू.डी.पी.) स्थित योजना में रिक्त भवन संख्या जे-781, ई.डब्ल्यू.एस., बर्रा के.यू.डी.पी. को ई-ऑक्शन के द्वारा विक्रय किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

| क्रम सं. | योजना का नाम | स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार अनुमन्य भू-उपयोग | मार्ग की चौड़ाई | अनुमानित क्षेत्रफल | वर्तमान दर | भौतिक स्थिति | पंजीकरण धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बर्रा के.यू.डी.पी. | भवन (ई.डब्ल्यू.एस.) | 4.50 मीटर | 36.76 व.मी. | 30,000.00 प्र.व.मी. | रिक्त एवं विकसित | 1,35,000.00 |

नियम व शर्तें-
1. भूखण्ड के लिये आवेदन हेतु आवेदक को ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करना होगा।
2. ई-ऑक्शन पोर्टल प्राधिकरण वेबसाइट www.kdaindia.co.in के ई-ऑक्शन लिंक पर उपलब्ध है।
3. भूखण्ड के सापेक्ष नियमानुसार 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण द्वारा अधिकृत इंडियन बैंक, शाखा- स्वरूप नगर में जमा कर, आवेदन किया जाना होगा।
4. उक्त पंजीकरण धनराशि प्रतीकात्मक है भूखण्ड के क्षेत्रफल के सापेक्ष वास्तविक पंजीकरण धनराशि वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5. विस्तृत नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर उपलब्ध है।
6. भूखण्ड का आवंटन जहाँ है, जैसा है के आधार पर किया जायेगा।
7. भूखण्ड आवंटित होने की दशा में आवंटी द्वारा भूखण्ड लिये जाने में असमर्थता प्रकट करने पर पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ई-ऑक्शन हेतु पंजीकरण अवधि 29.12.2025 पूर्वाह्न 10 बजे से दिनांक 19.01.2026 अपराह्न 5 बजे तक ई-ऑक्शन में बोली लगाने की अवधि 30.12.2025 पूर्वाह्न 11 बजे से 20.01.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक होगी। ई-ऑक्शन हेतु इण्डियन बैंक स्वरूप नगर को अधिकृत किया जाता है।

(अमय कुमार पाण्डेय) सचिव — (मदन सिंह गर्ब्याल) उपाध्यक्ष